

अपील(सू.का.अ)संख्या 24 / 2026 बउनवानी रजनीश मीना बनाम अति० जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी  
निवासी बगलाई तहसील वजीरपुर

GCMS No-2026/ 35

Appeal Number- 321422601479196

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

25.2.2026

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "पंचायत समिति गंगापुर सिटी के दिनांक 1.7.2020 से 25.12.2025 तक निकाली गयी सभी स्वीकृतियों की प्रतिलिपि। सभी मद मे खर्च की गयी राशि की केसबुक की प्रतिलिपि, आयोजित ग्राम सभा की बैठको की प्रतिलिपि की प्रमाणित सूचना" अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2026/1618 दिनांक 24.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी से होने के कारण उक्त प्रार्थी का आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी को जरिये पत्रांक 1566 दिनांक 9.2.2026 से अन्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि प्रार्थी उक्त सूचना के संबंध मे विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी के कार्यालय से पत्राचार करे।

अपीलान्ट द्वारा नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रार्थी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 27.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र अति० जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक 1566 दिनांक 9.2.2026 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी को अन्तरित किया गया है जो सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों मे उल्लेखित समयावधि के पश्चात किया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का नियत समयावधि मे निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना के संबंध मे विकास अधिकारी पंचायत समिति गंगापुर सिटी के कार्यालय से पत्राचार करे एवं सक्षम आथर्टी के समक्ष प्रथम अपील पेश करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

OL

( काना राम )  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर